ए.एम.जी.-I/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या-14/2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखंड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है।कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखंड, देहरादून** के माह 09/2018 से माह 06/2020 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री डी.के.मट्टू,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मुन्नाराम वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 15.07.2020 से 31.07.2020 तक श्री बी.डी.सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षणमेंसम्पादितकियागया।

भाग-1

परिचयात्मकः-इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुनील कुमार सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अरिन्दम चटर्जी , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारादिनांक 18.09.2018 से 22.09.2018 तक श्री डी. के. पिपलानी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया। जिसमे माह 08/2015 से माह 08/2018 तक के लेखाअभिलेखों की लेखापरीक्षा की गयी | वर्तमान में माह 09/2018 से माह 06/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जाँच की गयी

1- i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** इकाई के क्रियाकलाप के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन लाभार्थियों को चिकित्सा देखरेख उपलब्ध कराया जाता हैं | इकाई के भौगोलिक क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य में संचालित की जा रही कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 की उप धारा 1-5 के अधीन आने वाले क्षेत्र है।

(ii) (अ)विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(धनराशि₹ लाखमें)

वर्ष	प्रारम्भिकअवशेष		स्थापना			गैरस्थापना	
	स्थापना	गैरस्थापना	आवंटन	व्यय	बचत	आवंटन	व्यय
2017-18	-	-	8856.76	8703.77	152.99	-	-
2018-19	-	-	10086.32	8967.20	1119.12	-	-
2019-20	-	-	14936.3	14139.79	796.51	-	-
2020-21 ((06/20)	-	-	4229.52	185.51	4044.01	-	-

(ब)केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(धनराशि ` लाखमें)

योजनाकानाम	2017.18 से 2020.21 (06/2020)		
	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय
कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखंड, देहरादून	Nil	Nil	Nil

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त होता हैं ।गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाइ ...**अ** ....श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः

1). सचिव श्रम विभाग, उत्तराखण्ड

2). अपर सचिव श्रम विभाग, उत्तराखण्ड

3). निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना उत्तराखण्ड

4) अपर निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना उत्तराखण्ड

5) संयुक्त निदेशक(चिकित्सक) कर्मचारी राज्य बीमा योजना उत्तराखण्ड

6) सहायक निदेशक(मुख्य चिकित्साधिकारी) कर्मचारी राज्य बीमा योजना उत्तराखण्ड

(iv)**लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः-**लेखापरीक्षा में कार्यालय **निदेशक राज्य बीमा योजना ,श्रम चिकित्सा सेवाये उत्तराखण्ड देहरादून** की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **निदेशक राज्य बीमा योजना ,श्रम चिकित्सा सेवाये उत्तराखण्ड देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2019 एवं 03/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माह का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(स)लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी.पी.सी.एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग - 2(अ)

प्रस्तर -1: औषधियों का माँग से अधिक क्रय रू 1.49 करोड़ ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत निदेशक, उत्तराखंड कर्मचारी राज्य बीमा योजना देहरादून द्वारा राज्य मे विभिन्न औषधि केन्द्रों मे इस योजना के अंतर्गत आच्छादित लाभार्थियो को औषधि वितरण हेतु औषधियों का क्रय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employee State Insurance Corporation or ESIC) नई दिल्ली, द्वारा विभिन्न फार्मों के साथ किए गए दर अनुबंध के अनुसार किया जाता है।औषधियों की माँग के अनुसार ESIC द्वारा किए गए दर अनुबंध के अनुसार सबसे कम दर पर उपलब्ध औषधियों का क्रय किया जाता है। निदेशक, उत्तराखंड कर्मचारी राज्य बीमा योजना देहरादून के वर्ष 2019-20 मे औषधियों के क्रय से संबन्धित अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि इस कार्यालय द्वारा बहुत प्रकार के औषधियों के क्रय के संबंध मे क्षेत्रीय कार्यालयो द्वारा प्रस्तुत माँग को दरकिनार कर माँग से अत्यधिक औषधियों का क्रय किया गया है, जैसा कि संग्लग्नक मे दर्शाया गया है। संग्लग्नक मे दर्शाये गए विवरण से स्पष्ट है कि;

1. वर्ष 2019-20 मे औषधियों को क्रय करते समय विगत वर्षों की खपत को ध्यान मे नहीं रखा गया है, क्यूकि संग्लग्नक मे जिन औषधियों का विवरण दिया गया है, विगत दो वर्षों मे प्रत्येक वर्ष इन औषधियों की खपत वर्तमान मे की गई खरीद से काफी कम है।
2. किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए औषधियों की खरीद का मुख्य आधार उस वर्ष हेतु माँग का प्रस्तुतीकरण है, संग्लग्नक से स्पष्ट है कि वर्ष 2019-20 मे औषधियों को क्रय करते समय क्षेत्रीय कार्यालयो द्वारा प्रस्तुत माँग को दरकिनार कर माँग से दुगुनी तिगुनी से और अधिक औषधियों का क्रय किया गया है।
3. संग्लग्नक से स्पष्ट है कि संदर्भित औषधियों के क्रय करने मे न तो इन औषधियों की मांग को आधार बनाया गया न ही इन औषधियों की विगत वर्षों की खपत को आधार वनाया गया जिससे विभाग द्वारा किया गया औषधियों का क्रय औचित्यपूर्ण नही है।
4. Tab Methycal जिसकी खपत विगत दो वर्षों मे 1.5 लाख से 1.70 लाख तक थी, वर्तमान वर्ष मे इसकी माँग 2लाख थी, लेकिन इस कार्यालय द्वारा न तो विगत वर्षों की खपत को संग्यान मे लिया गया और न ही वर्तमान वर्ष की माँग का संग्यान लिया गया तथा इस वर्ष हेतु इस औषधि की 10 लाख मात्र का क्रय किया गया, जो कि माँग से 8लाख अधिक था, तथा इस अधिक मात्र का मूल्य रू 56.32 लाख था । स्पष्ट है कि विभाग ने विना औचित्य के ही इस औषधि पर रू 56.32 लाख अधिक व्यय किए।
5. कुल मिलाकर विभाग ने 19 औषधियों के क्रय मे किसी भी नियम का पालन न कर रू 1.49 करोड़ की औषधियों का अधिक तथा औचित्यहीन क्रय केय गया।

अतः प्रस्तुत विवरण से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा 19 औषधियों के क्रय मे विभागीय नियमो का पालन न कर अधिक मात्र मे औषधियों का क्रय किया गया, जिस पर विभाग द्वारा रू 1.49 लाख का अधिक व्यय किया गया। लेखापरीक्षा मे पूछे जाने पर विभाग द्वारा कहा गया किऔषधियों का क्रय, क्रय समिति की अनुशंसा से आगामी मांगो के अनुसार पूर्ति को सुचारू बनाए रखने हेतु की गई है। विभाग का उत्तर मान्य नही है, क्योंकि उपरोक्त वर्णित औषधियों का क्रय मांग से काफी अधिक किया गया है जिसका कोई कारण नही है। अतः विभाग का कृत्य नियमानुसार नही है। प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

Purchase of Medicine for the Year 2019-20 (*Annexure*)

Under the Head- 03(39/43)

S.N0	Name of Medicine	2018-19 Consumption	2019-20 Consumption	2020-21 Consumption Upto 21 July, 2020	Quantity Demanded for the Year 2019-20	Approved and Purchased Quantity for the Year 2019-20	Excess Quantity	Rate With Unit		Amount as per Excess Quantity 2019-20
1	Tab. Oflaxacin IP 200mg* Ornidazole 500mg	81350	71000	9000	71000	100000	29000	2.09	1	60,610.00
2	Tab. Cetrizine HCL 10mg	158400	122800	47000	98500	200000	101500	23.08	100	23,426.20
3	Tab. Ciprofloxacin 250mg	18200	22400	500	11000	50000	39000	123.31	100	48,090.90
4	Tab. Ciprofloxacin 500mg	-	-	4500	13000	200000	187000	229.79	100	4,29,707.30
5	Tab. Azithromycin 500mg	79700	55300	47500	56000	100000	44000	783.71	100	3,44,832.40
6	Tab. Cefixime 100mg	11000	57800	21500	21500	200000	178500	224.61	100	4,00,928.85
7	Cap. Amixycillin 250mg	23000	26300	10900	18700	100000	18300	152.33	100	1,23,844.29
8	Cap. Amixycillin 500mg	68800	26200	10000	18500	200000	181500	257	100	4,66,455.00
9	Tab.Ofloxacin 400mg	19950	1000	4000	13000	100000	87000	233.85	100	2,03,449.50
10	Tab. Cefuroxime Axetil 500mg	-	3600	2000	3500	100000	96500	1014.31	100	9,78,809.15
11	Tab. Cefuroxime+Clavulante Pot.	-	15000	9000	12000	50000	38000	8.55	1	3,24,900.00
12	Tab. Multi Vitamin (Mikroneutrient C Plus)	-	50500	5000	5000	150000	149500	33.2	10	4,96,340.00
13	Tab. Methycal	169000	150975	63300	200000	100000	800000	105.61	15	56,32,533.33
14	Cap.Iron and Vitamin	99990	105900	18000	0	150000	150000	3.71	1	5,56,500.00
15	Tab. Aceclofenac 100mg	53000	7000	2000	2000	300000	298000	38.96	10	11,61,008.00
16	Tab. Aceclofenac 100mg+ Paracetamol 325mg	4500	18000	103500	77000	500000	423000	83.39	100	3,52,739.70
17	Tab.Atherocheck	1000	24000	16000	4000	200000	196000	98.3	10	19,26,680.00
18	Vit. B Complex Syp.	-	40000	4000	0	10000	10000	71	1	7,10,000.00
19	Oint Analgesic (Flamar)	3000	12000	6000	15000	50000	35000	20.2	1	7,07,000.00
						Total Amount				1,49,47,854.62

प्रस्तर 02 - त्रुटिपूर्ण वेतन आहरण के परिणामस्वरूप धनराशि रु 9.03 लाख का अधिक भुगतान किया जाना।

इकाई निदेशालय, कर्मचारी राज्य बिमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाए, उत्तराखंड, देहरादून में कार्यरत चिकित्साधिकारियों का सातवें वेतन आयोग वित् विभाग उत्तराखंड के शासनादेश संख्या 299/XXVII(7)50(16)2016, दिनांक 30.12.2016 के अनुसार वेतन निर्धारण किया गया था, वेतन संबंधी अभिलेखों एवं सेवा पुस्तिका की जांच के दौरान प्रकाश में आया कि इकाई द्वारा निम्नलिखित कार्मिको को गतल तरीके से वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान किया गया था.

डॉ.पूनम वर्मा चिकीत्साधिकारी एवं डॉ अनू अग्रवाल चिकीत्साधिकारी का जून 2019 को पृथक-पृथक मूल वेतन रु. 84900/- था परंतु उक्त कार्मिकों को रु.98400/- की दर से भुगतान किया गया एवं वार्षिक वृद्धि के पश्चात जनवरी 2019 से मूल वेतन रु 87400/-. होना चाहिए परंतु उक्त कार्मिकों को रु.101400/- की दर से भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार उक्त कार्मिकों को लेखापरीक्षा तिथि तक कुल रु. 208170*2= रु 416340/- का अधिक भुगतान किया जाना पाया गया।

डॉ.मनीष रावत चिकीत्साधिकारी का जून 2019 को मूल वेतन रु. 69000/- था परंतु उक्त कार्मिक को रु.73200/- की दर से भुगतान किया गया एवं वार्षिक वृद्धि के पश्चात जनवरी 2020 से मूल वेतन रु71100/- होना चाहिए परंतु उक्त कार्मिक को रु.73200/- की दर से भुगतान किया गया तथा मई एवं जून 2020 को उक्त कार्मिक को रु.75400/- की दर से भुगतान किया जा रहा है इस प्रकार उक्त कार्मिक को लेखापरीक्षा तिथि तक कुल रु. 54078/- का अधिक भुगतान किया गया।

डॉ.नीतू शाह चिकीत्साधिकारी का जून 2019 को मूल वेतन रु. 69000/- था परंतु उक्त कार्मिक को रु.73200/- की दर से भुगतान किया गया एवं वार्षिक वृद्धि के पश्चात जनवरी 2020 से मूल वेतन रु71100/- होना चाहिए परंतु उक्त कार्मिक को रु. 75400/- की दर से भुगतान किया जा रहा है इस प्रकार उक्त कार्मिक को लेखापरीक्षा तिथि तक कुल रु.64374/- का अधिक भुगतान किया गया ।

डॉ.नीरज डढवाल चिकीत्साधिकारी का जून 2019 को मूल वेतन रु.67000 /- था परंतु उक्त कार्मिक को रु.73200/- की दर से भुगतान किया गया एवं वार्षिक वृद्धि के पश्चात जुलाई 2020 से मूल वेतन 69000/- होना चाहिए परंतु उक्त कार्मिक को रु. 75400/- की दर से भुगतान किया गया तथा अगस्त एवं जून 2020 को उक्त कार्मिक को रु. 73200/- की दर से भुगतान किया जा रहा है इस प्रकार उक्त कार्मिक को लेखापरीक्षा तिथि तक कुल रु. 64486/- का अधिक भुगतान किया गया ।

डॉ.ललित कुमार सिंह चिकीत्साधिकारी, डॉ.रेनू राय चिकीत्साधिकारी एवं डॉ.संध्या राज चिकीत्साधिकारी का जून 2019 को पृथक- पृथक मूल वेतन रु. 69000/- था परंतु उक्त कार्मिकों को रु.73200/- की दर से भुगतान किया गया एवं वार्षिक वृद्धि के पश्चात जनवरी 2020 से मूल वेतन रु71100/- होना चाहिए परंतु उक्त कार्मिकों को रु. 75400/- की दर से भुगतान किया जा रहा है, इस प्रकार उक्त कार्मिको को लेखापरीक्षा तिथि तक कुल रु.64374*3=193122/- का अधिक भुगतान किया गया ।

डॉ. दरवेश कुमार कल्यानी चिकीत्साधिकारी का अगस्त 2019 को मूल वेतन रु. 65000/- था परंतु उक्त कार्मिक को रु.73200/- की दर से भुगतान किया गया एवं वार्षिक वृद्धि के पश्चात जनवरी 2020 से मूल वेतन रु67000/- होना चाहिए परंतु उक्त कार्मिक को रु. 75400/- की दर से भुगतान किया

जा रहा है इस प्रकार उक्त कार्मिक को लेखापरीक्षा तिथि तक कुल रु.106938 /- का अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार करते हुए अपने उत्तर मे बताया है कि सम्पूर्ण धनराशि की वसूली किश्तों में की जाने की कार्यवाही गतिमान है।

अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप धनराशि रु 9.03 लाख का अधिक भुगतान का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

(संलग्न: आगणन शीट**)**

1. डा0 पूनम वर्मा चिकित्साधिकारी का मूल वेतन एव आहरित मूल वेतन का प्रारूप।

महीना		**मूल वेतन**	**आहरित मूल वेतन**	**प्रति माह भुगतान किया गया अतिरिक्त वेतन**	**महंगाई भत्ता**	**वेतन एवं भत्ते का कुल योग**
कब से	**कब तक**					
जून 2019	.	84900	98400	13500	1620	15,120
जुलाई 2019	दिसम्बर 2019	84900	98400	81000	13770	94,477
जनवरी 2020	जून 2020	87400	101400	84000	14280	9,8280
कुल वेतन						**2,08,170/-**

2. डा0 अनु अग्रवाल चिकित्साधिकारी का मूल वेतन एव आहरित मूल वेतन का प्रारूप।

महीना		**मूल वेतन**	**आहरित मूल वेतन**	**प्रति माह भुगतान किया गया अतिरिक्त वेतन**	**महंगाई भत्ता**	**वेतन एवं भत्ते का कुल योग**
कब से	**कब तक**					
ज्wान 2019	.	84900	98400	13500	1620	15,120
जुलाई 2019	दिसम्बर 2019	84900	98400	81000	13770	9,4477
जनवरी 2020	जून 2020	87400	101400	84000	14280	98,280
कुल वेतन						**2,08,170/-**

3. डा0 मनीष रावत चिकित्साधिकारी का मूल वेतन एव आहरित मूल वेतन का प्रारूप।

महीना		**मूल वेतन**	**आहरित मूल वेतन**	**प्रति माह भुगतान किया गया अतिरिक्त वेतन**	**महंगाई भत्ता**	**वेतन एवं भत्ते का कुल योग**
कब से	**कब तक**					
जून 2019	.	69000	73200	4200	504	4,704
जूलाई 2019	दिसम्बर 2019	69000	73200	25200	4284	29,484
जनवरी 2020	अप्रैल 2020	71100	73200	8400	1428	9,828
मई 2020	जून 2020	71100	75400	8600	1462	10,062
कुल वेतन						**54,078**

4- डा0 नीतू शाह चिकित्साधिकारी का मूल वेतन एव आहरित मूल वेतन का प्रारूप।

महीना		मूल वेतन	आहरित मूल वेतन	प्रति माह भुगतान किया गया अतिरिक्त वेतन	महंगाई भत्ता	वेतन एवं भत्ते का कुल योग
कब से	कब तक					
जून 2019	-	69,000	73,200	4,200	504	4,704
जुलाई 2019	दिसम्बर 2019	69,000	73,200	25,200	4,284	29,484
जनवरी 2020	जून 2020	71,100	75,400	25,800	4,386	30,186
कुल वेतन						**64,374**

5- डा0 नीरज डंढ्वाल चिकित्साधिकारी का मूल वेतन एव आहरित मूल वेतन का प्रारूप।

महीना		मूल वेतन	आहरित मूल वेतन	प्रति माह भुगतान किया गया अतिरिक्त वेतन	महंगाई भत्ता	वेतन एवं भत्ते का कुल योग
कब से	कब तक					
जून 2019	-	67,000	73,200	6,200	744	6,944
जुलाई 2019	-	69,000	75,400	6,400	1,088	7,488
अगस्त 2019	जून 2020	69,000	73,200	46,200	7,854	54,054
कुल वेतन						**68,486**

6- डा0 ललित कुमार सिंह, चिकित्साधिकारी का मूल वेतन एव आहरित मूल वेतन का प्रारूप।

महीना		मूल वेतन	आहरित मूल वेतन	प्रति माह भुगतान किया गया अतिरिक्त वेतन	महंगाई भत्ता	वेतन एवं भत्ते का कुल योग
कब से	कब तक					
जून 2019	-	69,000	73,200	4,200	504	4,704
जुलाई	दिसम्बर	69,000	73,200	25,200	4,284	29,484

2019	2019					
जनवरी 2020	जून 2020	71,100	75,400	25,800	4,386	30,186
कुल वेतन						**64,374**

7- डा0 रेनू राय, चिकित्साधिकारी का मूल वेतन एव आहरित मूल वेतन का प्रारूप।

महीना		**मूल वेतन**	**आहरित मूल वेतन**	**प्रति माह भुगतान किया गया अतिरिक्त वेतन**	**महंगाई भत्ता**	**वेतन एवं भत्ते का कुल योग**
कब से	**कब तक**					
जून 2019	-	69,000	73,200	4,200	504	4,704
जुलाई 2019	दिसम्बर 2019	69,000	73,200	25,200	4,284	29,484
जनवरी 2020	ज्wान 2020	71,100	75,400	25,800	4,386	30,186
कुल वेतन						**64,374**

8- डा0 संध्या राज चिकित्साधिकारी का मूल वेतन एव आहरित मूल वेतन का प्रारूप।

महीना		**मूल वेतन**	**आहरित मूल वेतन**	**प्रति माह भुगतान किया गया अतिरिक्त वेतन**	**महंगाई भत्ता**	**वेतन एवं भत्ते का कुल योग**
कब से	**कब तक**					
जून 2019	-	69,000	73,200	4,200	504	4,704
जुलाई 2019	दिसम्बर 2019	69,000	73,200	25,200	4,284	29,484
जनवरी 2020	ज्wान 2020	71,100	75,400	25,800	4,386	30,186
कुल वेतन						**64,374**

9- डा0 दरवेश कुमार कल्यानी, चिकित्साधिकारी का मूल वेतन एव आहरित मूल वेतन का प्रारूप।

महीना		**मूल वेतन**	**आहरित मूल वेतन**	**प्रति माह भुगतान किया गया**	**महंगाई भत्ता**	**वेतन एवं भत्ते का कुल योग**
कब से	**कब तक**					

				अतिरिक्त वेतन		
अगस्त 2019	दिसम्बर 2019	65,000	73,200	4,1000	6970	4,7970
जनवरी 2020	ज्wान 2020	67,000	75,400	50,400	8,568	58,968
कुल वेतन						**10 6938**

भाग-दो (अ)

प्रस्तर 03 : रु 281.33 लाख के प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में विभागीय नियमों की अनदेखी

उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं. 1356/VIII/कराबियो/2008 दिनांक 04 जून 2008 के बिन्दु सं. 9 में स्पष्ट उल्लिखित है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना में संचालित औषधालयों/चिकित्सालयों के द्वारा उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान करके प्रतिपूर्ति दावों की संख्या में कमी लायी जाए. उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं. 1393/VIII/13-11 (इ.एस.आई.)/2008 दिनांक 23 दिसम्बर 2018 के द्वारा प्रतिपूर्ति दावों के परीक्षण एवं सत्यापनकर्ता जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु अधिकारियों के दायित्यों को पुनः स्पष्ट किया गया है।

चयनित माह मार्च 2019 एवं मार्च 2020 के व्यय वाउचर्स की विस्तृत जांच के दौरान प्रतिपूर्ति दावों के वाउचर्स में पाया गया कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा रोगी को बिना किसी प्राथमिक उपचार के सीधे रेफ़रल हॉस्पिटल भेजा जा रहा था. रोगी ने न तो रेफ़रल हॉस्पिटल जाने से पहले औषधालय से दवा ली और न ही हॉस्पिटल से लौटने के बाद. अपितु इलाज के दौरान समस्त दवाएं बाहर से क्रय की गयी जबकि चिकित्साधिकारी अथवा मुख्य फार्मेसिस्ट द्वारा दवा की अनुपलब्धता भी नहीं दर्शायी गयी. चाहे इलाज कितनी ही लम्बी अवधि तक चला हो. इस प्रकार वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में उपरोक्त दावों हेतु रु 2,81,33,765/- का परिहार्य व्यय किया गया. जांच में यह भी पाया गया कि बिल में संलग्न कैश मेमो की सम्पूर्ण धनराशि को बिना किसी कटौती के पूर्ण भुगतान किया गया. औषधालयों द्वारा संलग्न प्रपत्रों यथा फार्म 1, फार्म 2 एवं फार्म 4 को पूर्ण रूप से भरा नहीं गया अथवा गलत भरा गया था।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भरपूर मात्र में औषधियों का क्रय किया गया था. औषधालयों में दवाओं की कमी होने के भी कोई प्रमाण नहीं पाए गये. फिर भी दावों में सामान्य दवाओं के मूल्य की भी प्रतिपूर्ति की गयी. जिससे स्पष्ट है कि प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में किसी भी स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा दायित्यों का निर्वहन नहीं किया गया।

विभाग को इंगित किये जाने पर विभाग ने स्वीकार किया कि औषधालय के चिकित्सक/ मुख्य फार्मेसिस्ट की अनुपलब्धता अंकन के पश्चात ही बाजार से औषधि क्रय करने की अनुमति दी जाती है किन्तु त्रुटिवश प्रतिपूर्ति दावों में उसका अंकन नहीं हो पाया. विभाग ने यह भी कहा कि प्रतिपूर्ति दावों की विभिन्न पटलों पर जांच सुनिश्चित की जाती है. किन्तु लेखापरीक्षा को ऐसे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये. विभाग ने यह भी स्वीकार किया कि परिस्थितिजन्य स्थिति में रोगी का अपने औषधालयों में न आ सकने की स्थिति में उसके किये गये उपचार की व्यय की प्रतिपूर्ति की जानी आवश्यक है. जो शासन के तथा निगम के आदेश में विहित है. जबकि वास्तविकता में यह शत प्रतिशत पाई गयी. इसके अतिरिक्त विभाग ने औषधालय प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की बात कही जिससे भविष्य में ऐसी पुनरावृति न हो।

विभाग ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा में उठाई गयी आपत्तियों को स्वीकार किया. जो कि रु 281.33 लाख के प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में विभागीय नियमों की अनदेखी की स्वयमेव पुष्टि करता है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर सं. 01 : निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना के वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन न होना ।

निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना उत्तराखंड को राज्य सरकार द्वारा बजट का आवंटन मुख्य शीर्ष 03 मे किया जाता है जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा प्रशासनिक व्यय के अतिरिक्त उपशीर्ष 39 मे औषधि एवं रसायन के मद मे अग्रिम चिकित्सा भुगतान, प्रतिपूर्ति दावे, औषधि क्रय एवं टाइ अप चिकित्सालयों को भुगतान किया जाता है। प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान से संबन्धित वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन के संबंध मे राज्य सरकार के आदेश दिनांक 23 सितंबर 2013 मे यह व्यवस्था दी गई थी कि सभी लाभार्थियों के प्रतिपूर्ति दवाओं जिनकी धनराशि क्रमशः रू दो हजार, रू दो हजार से दस हजार, दस हजार से एक लाख तथा रू एक लाख से अधिक हो, की स्वीकृति हेतु क्रनशः प्रभारी चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, निदेशक तथा विभागीय सचिव अधिकृत किए गए थे।अग्रिम चिकित्सा भुगतान के संबंध मे निदेशक द्वारा किए गए भुगतान की सीमा रू दो लाख निर्धारित की गई है, जबकि विभाग द्वारा औषधि क्रय एवं टाइ अप चिकित्सालयों को भुगतान के संबंध मे विभाग द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नही कराया गया है। विगत वित्तीय वर्षों मे विभाग द्वारा कराये गए भुगतनों का विवरण निम्न है;

(रू लाख मे)

मद का नाम	**2018-19 मे व्यय**	**2019-20 मे व्यय**		**निदेशक के वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन की स्थिति**
अग्रिम चिकित्सा भुगतान	36.86	34.71		रू दो लाख तक
चिकिसा प्रतिपूर्ति दावे	219.30	317.65		रू एक लाख तक
औषधि क्रय	974.47	686.79		अभी तक प्रतिनिधायन नही किया गया है
टाइ अप चिकित्सालयों का भुगतान	4612.89	8961.25		अभी तक प्रतिनिधायन नही किया गया है

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना के द्वारा मुख्यतः भुगतान, औषधि क्रय तथा टाइ अप चिकित्सालयों का भुगतान, मद मे किया गया है, परंतु इस संबंध मे सरकार के द्वारा अभी तक निदेशक के वित्तीय अधिकारों का कोई प्रतिनिधायन नही किया गया है और न ही किसी भुगतान के लिए विभाग द्वारा सरकार से कोई अनुमति ली गई है। अतः विभाग द्वारा औषधि क्रय तथा टाइ अप चिकित्सालयों का भुगतान, मद मे किए गए भुगतान बिना निदेशक के वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के किए गए है।लेखापरीक्षा मे पूछे जाने पर विभाग द्वारा कहा गया है कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक स्वायत्तशासी निकाय है तथा विभाग निगम के अनुसार ही कार्य कर रहा है यह तथ्य मान्य नही है क्योकि निगम भारत सरकार का उपक्रम है। पुनः यह भी कहा गया है कि निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना के वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के संबंध मे राज्य सरकार को अग्रेसित किया जाएगा।

प्रस्तर 2: औषधालयों द्वारा SST तथा स्थानीय मद मे औषधियो का अनियमित क्रय रू 1.75 करोड़ ।

उत्तराखंड सरकार के आदेश दिनांक अगस्त 2011 के अनुसारनिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत विभिन्न औषधालयों के लिय औषधि क्रय किए जाने हेतु एक पाँच सदससीय समिति का गठन किया जाना चाहिए था, जिसमे तीन सदस्य निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना से तथा एक सदस्य मुख्य कोषाधिकारी द्वारा नामित एवं एक सदस्य मुख्य चिकित्सा अधीक्षक दून चिकित्सालय द्वारा नामित होना चाहिए था। उपरोक्त शासनादेश के परिपालन मे कार्यालय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना मे निदेशक कार्यालय स्तर औषधियों के क्रय हेतु एक क्रय समिति का गठन किया गया, एवं सितंबर 2017 से प्रत्येक औषधालय स्तर पर भी एक चार सदस्सीय समिति का गठन भी किया गया जिसका अनुमोदन भी शासन से नही करवाया गया था। वर्तमान मे विभाग मे औषधालयों द्वारा दो प्रकार से औषधियों का क्रय किया जा रहा है एक तो ESIC के दर अनुबन्ध तथा दूसरे मे सीधे बाजार भाव पर, बिना कोई टेंडर या क्रय समिति की अनुशंसा से। कार्यालय निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना उत्तराखंड के अंतर्गत आने वाले देहरादून क्षेत्र के सभी औषधालयों की औषधियों के क्रय से संबन्धित अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि;

1- लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि किसी भी औषधालय द्वारा औषधियों के क्रय हेतु क्षेत्रीय स्तर पर गठित क्रय समिति की अनुशंसा प्राप्त नही की गई है अथवा क्रय समिति का गठन नही किया गया था।

2- किसी भी औषधि क्रय को करने के लिए कोई मांग नही दर्शाई गई थी अथवा बिना मांग के ही औषधियों का क्रय किया जा रहा था।

3- सुपर स्पेसियलिटी ट्रीटमेंट (SST) हेतु विभाग द्वारा कोई नियम नही बनाए गए है, जांच मे पाया गया कि इस मद मे अधिकांशतः औषधियों का क्रय सीधे खुले बाजार से विना किसी स्पर्धा के के किया जा रहा है तथा इस खरीद हेतु उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली का भी उलंघन किया जा रहा है।

4- उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार स्थानीय क्रय हेतु औषधियों का क्रय, क्रय समिति के मध्यम से स्पर्धात्मक मूल्य पर ही क्रय की जानी चाहिए, लेकिन जांच मे पाया गया कि सभी औषधालयों द्वारा इस नियम का पालन नही किया गया।

5- वित्तीय वर्ष 2019-20 मे डोईवाला औषधालय द्वारा नवंबर 2019 को चोकोफर सीरप की 19032 मात्रा रू 10.35 लाख मे बिना मांग का अनुमान करते हुये तथा बिना क्रय समिति की अनुशंसा के क्रय की गई जबकि स्टॉक बुक के अनुसार नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक इस औषधि की कुल 640 मात्रा का ही वितरण किया गया था तथा वर्ष 2020-21 में 21जुलाई तक स्टोक बुक में 400 मात्रा वितरित की गयी थी तथा 17992 मात्रा औषधालय मे शेष पड़ी हुई है | जबकि इस औषधि की expiry मार्च 2021 है। अतः इस औषधि का अनावश्यक अधिक क्रय वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2019 -20 मे 8 औषधालयों द्वारा SST तथा स्थानीय खरीद के मद मे निम्न प्रकार से औषधियों का क्रय किया गया था;

क्रम सं	**औषधालय का नाम**	**SST मद मे क्रय की गई औषधियों का मूल्य (रू लाख मे)**	**स्थानीय मद मे क्रय की गई औषधियों का मूल्य (रू लाख मे)**	**कुल मूल्य**
1	सेलाकुयी	25.13	-	25.13
2	लाल तप्पड़	3.76	7.62	11.38
3	IT पार्क देहरादून	2.52	-	2.52
4	मंसूरी	7.68	1.06	8.74
5	बंजारवाला	66.51	5.72	72.23
6	ऋषिकेश	11.51	1.00	12.51
7	सुद्दोवाला	6.98	2.22	9.20
8	डोईवाला	33.13	-	33.13
योग		**157.22**	**17.62**	**174.84**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है किऔषधालयों द्वारा SST मद मे किसी भी विभागीय नियमों के न बनाए जाने के कारण रू 157.22 लाख का क्रय बिना टेंडर के अथवा किसी स्पर्धा के बिना तथा बिना मांग दर्शाये ही क्रय समिति अनुशंसा के बगैर ही क्रय किया गया है, जो कि उत्तराखंड आधिप्राप्ति नियमावली का उलंघन है। इसी प्रकार स्थानीय क्रय के मद मे रू 17,62 लाख का व्यय बिना आधिप्राप्ति नियमावली के अनुपालन के ही किया गया है। अतः विभाग द्वारा उत्तराखंड आधिप्राप्ति नियमावली का पालन न कर रू 174.84 लाख की औषधियो का अनियमित क्रय किया गया।

लेखापरीक्षा मे पूछे जाने पर विभाग द्वारा कहा गया किऔषधियों का क्रय, क्रय समिति की अनुशंसा से तथा मांग को देखते हुये किया गया है, क्यूकि एसएसटी से संबन्धित रोगियों को औषधियाँ तत्काल उपलब्ध कराई जाती है। स्थानीय क्रय भी नियमों के अनुसार किया जा रहा है। विभाग का उत्तर मान्य नही है, क्यूकि एसएसटी मे औषधियों का क्रय भी बड़ी मात्र मे स्थानीय बाजार से किया जा रहा है, जिस हेतु कोई विभागीय नियम नही बनाए गए है। विभाग द्वारा स्थानीय क्रय तथा क्रय समिति की अनुशंसा से संबन्धित कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही किए गए। प्रकरणसंज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 03: कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दर अनुबंध के अंतर्गत क्रय की गई औषधियों का गुणवत्ता परीक्षण न करवाया जाना।

निदेशक राज्य कर्मचारी बीमा योजना, उत्तराखंड द्वारा राज्य मे इस योजना के अंतर्गत बीमांकित संगठित क्षेत्र के कामगारों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने हेतु, विभिन्न औषधालयों मे औषधियों के वितरण हेतु, औषधियों का क्रय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम नई दिल्ली के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के साथ किए गए दर अनुबंध के अनुसार किया जा रहा है। दर अनुबंध के प्रस्तर चार के अनुसार विभाग को दर अनुबंध के अनुसार विभिन्न आपूर्तिकर्ता फार्मों से प्राप्त औषधियों का कम से कम 10 प्रतिशत मात्रा का गुणवत्ता परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाना चाहिए। इसी क्रम मे यदि किसी औषधि का गुणवत्ता परीक्षण मानकों के अनुसार नही पाया जाता है तो इसकी गुणवत्ता परीक्षण सूचना को कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2019-20 मे निदेशक राज्य कर्मचारी बीमा योजना, उत्तराखंड द्वारा विभिन्न औषधियों की खरीद हेतु विभिन्न फार्मों को 120 आपूर्ति आदेश जारी किए गए जिस पर विभाग द्वारा रू 6.86 करोड़ अदा किए गए। लेखापरीक्षा मे पाया गया की विभाग द्वारा उपरोक्त क्रय की गई औषधियों के 10 प्रतिशत मात्र का कोई भी गुणवत्ता परीक्षण किसी भी सरकारी प्रयोगशालाओं या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं मे नही कराया गया है, जो कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दर अनुबंध के नियमों के विपरीत है।

लेखापरीक्षा मे पूछे जाने पर विभाग द्वारा उत्तर मे कहा गया है कि औषधियों के गुणवत्ता परीक्षण कराये गए है, यह उत्तर मान्य नही है क्योकि विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों मे औषधियों का गुणवत्ता परीक्षण आपूर्ति कर्ता फार्मों द्वारा कराये गए है जो कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दर अनुबंध के शर्तों के अनुरूप है, परंतु विभाग का कृत्य नियमानुसार नही है। अतः विभाग द्वारा औषधियों की खरीद मे इनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित नही किया गया है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर स० 04:- धनराशि रु 76,95,457/=का विगत 02 वर्षो से असमायोजित रहना ।

शासनादेष संख्या 1356/VIII/11-कराबियो/2008 दिनाक 04 जून 2008के प्रस्तर संख्या 04 के अनुसार उपचार समाप्त के पशचात उपचार पर उपयोग की गयी धनराशी से सम्बन्धित बिल वाउचर के साथ समायोजन लेखा/प्रतिपूर्ति दावा 30 दिन के अंदर सम्बन्धित कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय में उपलब्ध कराया जाना हें | जिसे निर्देशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु तुरन्त भेज देना होता हें | उपचार के पश्चात यदि कोई धनराशी अवशेष हो तो उसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सम्बन्धित खाते में जमा किया जाना होता हें

निदेशक राज्य कर्मचारी बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाए उत्तराखण्ड देहरादून के लेखा अभिलेखों की जाँच के दोरान पाया गया कि वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कुल 22 लाभारथियो को गंबीर बीमारयो के कारण Reffered Hospitals/specially empennaled में इलाज हेतु धनराशी रु 7695457/=अग्रिम के रूप में दिये गये जिसका समायोजन लेखापरीक्षा अवधि माह 06/2020 तक नही कराया गया हें|

इस सम्बन्ध में विभाग को इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि चिकित्सा संस्थानों को अग्रिम धनराशी का भुगतान करते समय प्रष्ठांकित प्रति में उल्लेखित किया जाता हें कि यदि बिमान्कित/रोगी के उपचारान्त कोई राशी अवशेष रहती हें तो विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करने हेतु अनुरोध किया जाता हें| चिकित्सा संस्थान द्वारा RTGS से राशी का अभियोजित का पत्र विभाग को प्रापत हें लकिन विभागीय खाता न होने की स्थिति में अग्रिम धनराशी का अभियोजन नही हो सका | विभागीय खाता खोलने की कार्यवाही की जाएगी विभाग का उत्तर संतोषजनक नही पाया गया क्योंकि विभागीय खता नही खोलना स्वयं ही विभाग की शिथिलता प्रकट करता है अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है.

क्रम संख्या	वर्ष/माह	कर्मचारियों के नाम	असमायोजितधनराशी
01	05/2018	श्री रतन सिंह	299892/=
02	05/2018	श्री योगेश	65000/=
03	05/2018	श्रीमती हर्षिता गोपाल	997760/=
04	08/2018	श्री मनोज कुमार राय	61000/=
05	09/2018	श्री आशीष शर्मा	165000/=
06	09/2018	अम्र सिंह चौहान	100000/=
07	12/2018	श्री नरेंद्र कुमार	130000/=
08	01/2019	श्री सुधीर कुमार	800000/=
09	01/2019	श्री प्रीतम लाल	12308/=
10	03/2019	श्री विनोद कुमार	33500/=
11	03/2019	श्री शेलेन्द्र सिंह	115000/=
12	03/2019	श्री सचिन कुमार	140000/=
13	06/2019	श्री सचिन शर्मा	440497/=
14	06/2019	श्री नरेंद्र सिंह	500000/=
15	06/2019	श्री रवीन्द्र सिंह	120000/=
16	06/2019	तुषार तपन	199500/=
17	08/2019	श्री राहुल कुमार उपाध्याय	750000/=
18	08/2019	श्री ताराचंद	750000/=
19	09/2019	श्री संदीप कुमार	700000/=
20	09/2019	श्री चन्द्र शेखर पंत	726000/=
21	09/2019	कुन संग डेचन	90000/=
22	11/2019	श्रीमती किरन शर्मा	500000/=
योग			**7695457/=**

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 05: योजनान्तर्गत प्रावधानों के क्रियान्वयन में शिथिलता के फलस्वरूप अत्यधिक व्यय एवं लाभार्थियों का शोषण।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की चिकित्सा नियम पुस्तक के नियम सं. 3.10 के द्वारा चल औषधालय की व्यवस्था की गयी है. जिसके अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों में जहाँ थोड़े से बीमाकृत व्यक्ति लम्बे चौड़े क्षेत्र में छिटपुट रह रहे हों को आच्छादित किया जाना है. नियम सं. 3.11 के द्वारा जहाँ किसी क्षेत्र विशेष में बीमाकृत व्यक्तियों का घनत्व एक पूर्णकालिक लघु औषधालय की स्थापना के औचित्य के पर्याप्त नहीं है वहां बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवारों को किसी मौजूदा सरकारी या स्थानीय निकाय औषधालय से संबद्ध कर चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करने व्यवस्था की गयी है. इसी प्रकार नियम सं. 3.13 के द्वारा उन बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवारजनों को जो युक्ति-युक्त रूप से इस स्थिति में है कि वे औषधालय में नहीं जा सकते तो वे बीमा चिकित्सा अधिकारी/बीमा चिकत्सा व्यवसायी द्वारा अपने आवास पर निःशुल्क चिकित्सा पाने के हकदार है. उक्त नियमों के अन्तर्गत की गयी व्यवस्थाओं का उददेश्य बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके परिवारजनों को सरलता से निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने के साथ-साथ सरकारी धन के अनावश्यक व्यय को कम करना है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की चिकित्सा नियम पुस्तक के नियम सं. 3.23 के द्वारा बीमाकृत व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों हेतु विभिन्न परिस्थितियों में एम्बुलेन्स सेवा अथवा सवारी व्यय की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गयी है. नियम सं. 3.24 के द्वारा शव वाहन की भी ठेके पर लेने की व्यवस्था की गयी है।

लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि बीमाकृत व्यक्तियों के प्रतिपूर्ति दावों पर अत्यधिक व्यय किया गया है. जिसमे सामान्य उपचार भी शामिल है. लेखापरीक्षा दल का आंकलन है कि यदि नियम सं 3.10 से 3.13 तक में वर्णित प्रावधानों को लागू किया गया होता तो प्रतिपूर्ति दावों पर व्यय धनराशि को काफी हद तक कम किया जा सकता था. उक्त प्रावधानों के सन्दर्भ में पूरी व्यवस्था लाभार्थियों द्वारा स्वयं की धनराशि से उपचार एवं तत्पश्चात प्रतिपूर्ति पर आधारित पाई गयी. नमूना जांच में यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा नियम सं. 3.23 एवं 3,24 के अन्तर्गत कोई भुगतान नहीं किया गया था. जिससे स्पष्ट था कि लाभार्थियों को उक्त प्रावधानों का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा था।

विभाग को इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि विभाग के अन्तर्गत कोई चल औषधालय नहीं है.एवं न तो किसी सरकारी या स्थानीय निकाय औषधालय को सम्बद्ध किया गया है. विभाग में गृह गमन उपचार की भी कोई व्यस्था नहीं है. एम्बुलेन्स सेवा अथवा सवारी व्यय की प्रतिपूर्ति तथा शव वाहन के सन्दर्भ में विभाग ने उत्तर में बताया कि योजना की एक एम्बुलेन्स देहरादून जनपद में क्रियाशील है. जिसमे जनपद देहरादून औषधालयों से सम्बंधित लाभार्थी को रोगी वाहन की आवश्यकता होने पर उपलब्ध कराया जाता है. तथा सवारी व्यय अथवा शव वाहन हेतु लेखापरीक्षा अवधि में कोई भुगतान नहीं किया गया है।

विभाग के उत्तर से स्वत: स्पष्ट है कि विभाग में योजनाओं के क्रियान्वयन में अत्यधिक शिथिलता बरती गयी. योजना के प्रावधानों को पूर्णत: समाप्त कर लाभार्थियों को पूरी तरह से निजी चिकित्सकों के सहारे छोड़ दिया गया. विभाग का उददेश्य मात्र दवाओं का क्रय एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण मात्र रह गया. जिसके लिए लाभार्थी को पहले स्वयं धन की व्यवस्था करनी थी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है.

प्रस्तर सं06:- विभागीय उदासिनता के कारण कर्मचारी के अंशदायी पेंशन योजना की धनराशि रु 16,62,697/- की गणना PRAN खाते मे नही किया जाना ।

उत्तराखण्ड मे राज्य कर्मचारियो के लिए "अंशदायी पेंशन योजना" शासनादेश 21/xxvii/अ.पे.यो./2005 के अनुसार दिनांक 25.10.2005 से लागू की गयी। नयी अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत वेतन, महंगाई वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जाएगा। इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अंशदान एवं निवेश से होने वाली आय को एक खाते मे जमा किया जाएगा, जो पेंशन टियर-1 खाता होगा। चूँकि नए भर्तिशुदा लोक सामान्य भविष्य निधि मे अंशदान करने मे सक्षम नही होंगे अतः वे पेंशन टियर-1 खाते के अतिरिक्त एक स्वेछिक टियर-2 खाता भी रख सकते है, परंतु सेवायोजक टियर-2 खाते मे कोई अंशदान नही करेगा। टियर -2 खाते मे आस्तियों का निवेश/ प्रबंधन ठीक उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, जो पेंशन टियर-1 खाते के लिए है तथापि कर्मचारी अपने टियर -2 खाते के धन के सम्पूर्ण अंश या उसके किसी भाग को किसी भी समय निकालने के लिए स्वतंत्र होगा। इसी क्रम मे शासनादेश संख्या 643/XXVII(7)/अ.पे॰यो॰/2010, दिनांक 11.08.2010 मे स्पष्ट रूप से कोषागार को निर्देशित किया गया कि कार्मिको को CRA से PRAN आवंटित होने के बाद ही अंशदान की कटौती प्रारम्भ की जाएगी तथा बिन्दु संख्या 04 मे स्पष्ट रूप से वर्णित है कि

(4)– आंधिसूचना संख्या 26 /XXVII (7) /2008, दिनांक 30 जनवरी, 2009 के फलस्वरूप व्यवस्था परिवर्तन :– इस शासनादेश के द्वारा राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो दिनांक 1 अक्टूबर, 2005 या इसके पूर्व राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत थे, उन्हें कतिपय शर्तों के अधीन पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माना गया है जबकि दिनांक 1 अक्टूबर, 2005 या इसके बाद इनकी नई नियुक्ति के दृष्टिगत पूर्व में इनको नई अशंदान पेंशन योजना का सदस्य मानते हुये अशंदान काटा गया था, अतः अब इनसे पूर्व में जमा करायी गई नई पेंशन योजना के अशंदान की धनराशि इनको वापस कर इनको पूर्व आवंटित जी0पी0एफ0 खाते में जमा की जायेगी, जिस हेतु सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारी (डी0डी0ओ0) अपने यहां बनाये गए लेजर/पासबुक से धनराशि पूर्ण रूप से सत्यापित करते हुए उसे सम्बन्धित कोषागार से सत्यापित करवाकर निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड को प्रेषित करेंगे। मैनुअल बिलों के द्वारा काटे गये अंशदान का सत्यापन प्रस्तर–5 के अनुसार किया जाएगा। निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड अंतिम भुगतान की पर्ची बनाकर उसे कोषागार को भुगतान हेतु ठीक उसी प्रकार प्रेषित करेंगे जैसे कि जी0पी0एफ0 की धनराशि आहरित करने की प्रक्रिया है उसी प्रकार कर्मचारी की अंशदान से सम्बन्धित धनराशि मय ब्याज के अधिकारी/ कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी, जबकि नियोक्ता के अंशदान को राजकोष में वापस जमा कर दिया जायेगा। परन्तु निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड इस तरह के प्रकरण में फाइनल रिपोर्ट तभी लगायेंगें, जब सभी कोषागार इस तरह के प्रकरण अन्तिम रूप से निदेशालय को भेज दें।

कार्यालय,निदेशालय,कर्मचारी राज्य बिमा योजना,श्रम चिकित्सा सेवाए , उत्तराखंड, देहरादूनके नयी अंशदान पेंशन योजना संबन्धित अभिलेखो कि जांच के उपरांत पाया गया कि कार्यालय मे कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारी/अधिकारी नयी अंशदान पेंशन योजन के तहत अंशदान की कटौती नीचे लिखित तिथि से कर रहे है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	नियुक्तितिथि	NPS हेतु कटौती प्रारम्भ माह	कार्मिक काअंश	सरकार काअंश	योग
1	डॉ0 विशालप्रताप	चिकित्साधिकारी	14-11-2019	-	49665	69531	119196
2	डॉ0 अरूणकुमार	चिकित्साधिकारी	20-09-2018	-	143133	197370	340503
3	डॉ0 नेहाप्रिया	चिकित्साधिकारी	18-09-2018	-	143615	184836	328451
4	डॉ0 सुनौधगौतम	चिकित्साधिकारी	06-09-2018	-	146027	186745	332772
5	कु0 साक्षी	कनिष्ठसहायक	08-05-2017	-	95079	111436	206515
6	श्रीगणेशडांगी	कनिष्ठसहायक	20-09-2019	-	23781	33293	57074
7	श्रीमार्तण्डराजश्रीयाल	कनिष्ठसहायक	04-01-2017	माह-जुलाई 2019	73531	76719	150250
8	श्रीमहावीरसिंह	कनिष्ठसहायक	06-05-2017	माह-जुलाई 2019	62374	65562	127936
कुलयोग					737205	925492	1662697

उक्त तिथियो से संबन्धित कर्मचारीयों को नयी पेंशन योजना के तहत अपना अंशदान प्रतिमाह कटौती के समतुल्य employerShare की कटोती की जानीचाहिए थी | जबकि संबन्धित कर्मचारियो को PRAN संख्या उक्त तालिका के अनुसार आवंटित हुये थे। संबन्धित कर्मचारीयों कि उक्त शासनादेश के अनुपालन मे जमा अंशदान धनराशि रु 1662697/- उक्त कर्मचारियो एवं अधिकारियों को आवंटित नयी पेंशन योजना के खातो मे जमा नही कि गयी। ओर न ही शासनादेश 643 के बिन्दु संख्या 4 के अनुपालन मे संबन्धित कर्मचारीयों के जमा अंशदान को कोषागार को प्रेषित किया गया। आगे जांच मे पाया गया कि न ही अंशदान के सापेक्ष employerShare उनके खातो मे जमा किया जा रहा था जबकि आवंटित PRAN खातो मे उनके Tier -1 खाते संबन्धित तिथियो से क्रियाशील होने के बावजूद भी कर्मचारियो के अंशदान पेंशन कटौती कि धनराशि को उनके खातो मे शून्य पाया गया अर्थात विगत अंशदान को tier -1 खातो मे जमा नही किया गया था।

इस संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये उत्तर मे बताया कि "जानकारी के अभाव मे उक्त कर्मचारियो / अधिकारियों के वेतन से अंशदान प्रतिमाह कटौती के तहत धनराशियों को कोषागार को प्रेषित नही किया गया, भविष्य मे उचित कार्यवाही कर प्रस्तुत किया जाएगा।

उत्तर मान्य नही है क्योकि उपरोक्त शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए कर्मचारीयों को PRAN खाता आवंटित नही होने के बाद भी अंशदान की कटौती नही की गयी तथा संबन्धित कर्मचारी के अंशदान की धनराशि रु 1662697/- विभागीय उदासिनता के कारण कोषागार को प्रेषित नही किया गया।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है

प्रस्तर-07: NPA संबंधी संसोधित शासनादेश निर्गत न होने के बावजूद भी 20% की दर से NPA का भुगतान किया जाना धनराशि रु 6.81 लाख।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 26(1)/ XXVII(7)/18-50(14)/2017 दिनांक: 23 जनवरी, 2019 के अनुसार प्रैक्टिसबंदी भत्ता फरवरी 2019 से 20% की दर से केवल उन चिकित्सा अधिकारियों को ही देय होगा जो क्लीनिकल कार्य करते हों एवं निजी प्रैक्टिस नहीं करते हों। इसके साथ-साथ प्रशासनिक पदों पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को यह भत्ता तब अनुमन्य होगे जब वे सप्ताह में कम से कम दो दिन क्लीनिकल कार्य करतें हों।

तत्पश्चात उपरोक्त शासनादेश को आंशिक संशोधित करते हुए शासनादेश संख्या- 148(1)/ XXVII(7)/19-50(14)/2017 दिनांक: 27 मई, 2019 के अनुसार प्रशासनिक पदों पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को प्रैक्टिसबंदी भत्ता अनुमन्य होगा, परंतु उक्त चिकित्सा अधिकारियों को उन्हे आवंटित कार्यों के साथ-साथ विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत वरिष्ठ/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथासमय राजकीय चिकित्सालयों में क्लीनिकल कार्य करने हेतु दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने की बाध्यता होगी। इसके अलावा प्रशासनिक पदों पर कार्यरत चिकित्साधिकारियों द्वारास्वैक्छिक रूप से भी राजकीय चिकित्सालयों में क्लीनिकल कार्य संपादित किया जा सकता है, बशर्ते कि इससे उन्हें आवंटित प्रशासनिक दायित्व प्रभावित न हो।

उक्त शासनादेश केवल चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत एलोपैथिक चिकित्सकों हेतु मान्य था। श्रम एवं चिकित्सा सेवाओं के चिकित्सकों हेतु नहीं ।

कार्यालय, निदेशालय, कर्मचारी राज्य बिमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाए, उत्तराखंड, देहरादून के प्रैक्टिसबंदी भत्तेसंबन्धित अभिलेखो कि जांच के उपरांत पाया गया कि कार्यालय मे कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारी/अधिकारी प्रैक्टिसबंदी भत्ते का लाभ नीचे लिखित तिथि से कर रहे है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र.सं.	कार्मिकों का नाम	02/19 से 6/19	डी ए (12%)	07/19 से 06/20	डी ए (17%)	कुल
1	डॉ आकाश दीप	33960	4075.2	-	-	38035.2
2	डॉ अनू अग्रवाल	33960	4075.2	-	-	38035.2
3	डॉ पूनम	33960	4075.2	-	-	38035.2
4	डॉ मनीष रावत	27600	3312	-	-	30912
5	डॉ नीरज सिंह	35454	4254.48	87848	89598	217154.48
6	डॉ नीतू शाह	27600	3312	-	-	30912
7	डॉ अरुण कुमार	22440	2692.8	-	-	25132.8
8	डॉ शैली शर्मा	45560	5467.2	66288	70746	188061.2
9	डॉ सुनोध कुमार	33660	4039.2	-	-	37699.2
10	डॉ नेहा प्रिया	33660	4039.2	-	-	37699.2

					कुल योग	**681676.48/-**

इकाई के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि फरवरी 2019 से मार्च 2020 तक की अवधि में कुल 10 चिकित्साधिकारियों, जिनके द्वारा इस अवधि में कोई क्लीनिकल कार्य ना करते हुए केवल प्रशासनिक कार्य किया गया, को कुल रु० **681676.48/-** के प्रैक्टिसबंदी भत्ते का लाभ प्रदान किया गया।

वर्तमान में क०रा० की योजना के चिकित्साधिकारियों हेतु प्रैक्टिस बंदी भत्ते (NPA) का शासनादेश स्वीकृत नहीं है, शासनादेश जारी करवाने हेतु कार्यवाही गतिमान है। शासनादेश जारी होने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी कि कौन पात्र/अपात्र है।
अत: ईकाई के उत्तर से स्वत: स्पष्ट है कि उक्त कार्मिकों द्वारा NPA के संबंध में संसोधित शासनादेश जारी न होने के बावजूद भी 20% की दर से धनराशि रु 6.81 का भुगतान किया गया।
अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 01- विभिन्न औषधालयों को बजट का असंतुलित वितरण।

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारी बीमा योजना विभाग को वार्षिक बजट का आवंटन मुख्यतः दो शीर्षों 03 (निदेशालय अधिष्ठान) तथा 04 (क्षेत्रीय कार्यालय अधिष्ठान) के अंतर्गत किया जाता है, इन दोनों शीर्षों के उपशीर्ष 39 मे निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को औषधि तथा रसायन के मद मे औषधियों के क्रय हेतु बजट आवंटित किया जाता है। इस संबंध मे बजट पत्रावलियों के अवलोकन से संग्यान मे आया कि मद 39-औषधि तथा रसायन मे विभाग विभाग द्वारा शासन के स्तर से कोई मानक निर्धारित नहीं करवाए गए है जिससे निदेशालय तथा क्षेत्रीय स्तर पर औषधियों के क्रय का अनुपात निर्धारित किया जा सके तथा इस मद मे निदेशालय तथा क्षेत्रीय स्तर पर औषधियों के क्रय हेतु राज्य सरकार से कितनी राशि की मांग की जाय, से संबन्धित कोई गणना नही की गई है। जैसे उत्तराखंड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मे निदेशालय स्तर पर औषधि क्रय हेतु कुल आवंटित बजट का 70 प्रतिशत प्रयोग किया जाता है तथा 30 प्रतिशत का उपयोग क्षेत्रीय स्तर किया जाता है जिससे औषधियो के अनावश्यक क्रय पर नियंत्रण किया जा सके। परंतु इस विषय पर इस विभाग द्वारा अभी तक कोई मानक निर्धारित नही किए गए है जिसके परिणाम स्वरूप औषधालयों के औषधियों के क्रय हेतु (उपशीर्ष 39) बजट आवंटन पर विभाग का कोई नियंत्रण नही है, जैसा निम्न तालिका मे दर्शाया गया है;

(रू लाख मे)

क्रम सं	औषधालय का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19		वित्तीय वर्ष 2019-20	
		OPD की संख्या	बजट आवंटन	OPD की संख्या	बजट आवंटन
1	कारगी चौक	57352	110	53910	220
2	ऋषीकेश	12484	30	11105	40
3	मंसूरी	6535	20	8443	40
4	सेलाकुई	33719	80	53271	80
5	आईटी पार्क	14649	35	15843	45
6	लाल तप्पड़	8855	35	9968	40
7	डोईवाला	9071	35	11322	45
8	नहरू कलोनी	4324	15	8103	15
9	सुद्दोंवाला	2503	15	8070	42
10	कोटद्वार	5789	15	6491	20

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है की औषधालयों को बजट आवंटन हेतु विभागीय स्तर पर कोई भी मानक सुनिश्चित नही किए गए है जैसे ;

1- वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 मे ऋषिकेश औषधालय मे ओपीडी की संख्या क्रमशः 12484 तथा 11105 रही , इन वर्षों मे इस औषधालय को 30 एवं 40 लाख का बजट आबंटित किया गया, जो कि औचित्यपूर्ण नही था क्योकि वर्ष 2019-20 मे ओपीडी की संख्या कम हुई परंतु बजट मे रू 10 लाख की बृद्धि की गई।

2- मंसूरी एवं कारगी चौक औषधालयोंके 2019-20 मे बजट मे की गई बृद्धि भी ओपीडी के अनुसार तर्क संगत नहीं है।

3- सेलाकुई तथा करगी चौक औषधालयों के ओपीडी के अनुपात के अनुसार बजट आवंटन मे समानुपातिक नही है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा औषधालयों को औषधि तथा रसायन के मद मे बजट आवंटन नियमानुसार नही किया गया है। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार करते हुये कहा गया कि विभाग मे किसी वित्तीय सेवाओं से संबन्धित अधिकारी के न होने के कारण बजट आवंटन मे कमियाँ रही। परंतु कुछ मामलों मे जहां अति विशष्ट इलाज से संबन्धित रोगियो की संख्या अधिक है वहां अधिक आवंटन करना स्वाभाविक है। विभाग का उत्तर मान्य नही है क्योकि औषधालयों को बजट आवंटन मे कोई विभागीय नीति नही वनायी गई है।

<u>भाग-3</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत्है;

प्रति.संख्या	**वर्ष**	**भाग-दोअ प्रस्तरसं0**	**भाग-दोब प्रस्तरसं0**	**STAN प्रस्तरसं0**
46	**2013-14**	शुन्य	**01,02**	शुन्य
	2015-16	शुन्य	**01** से **04**	शुन्य
119	**2018-19**	**01**	**01** से **04**	शुन्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखा परीक्षा प्रेक्षण**	**अलुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
अप्रस्तुत				

भाग-4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

ए.एम.जी.-I/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या-14/2020-21

भाग-5

<u>आभार</u>

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखंड, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

2- (अ) **शून्य**

3- सतत अनियमितताएं:-

(अ) **शून्य**

4- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रमसंख्या	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1	डा०नरेश अग्रवाल	मुख्य चिकित्सधिकारी	08/2015 से 31/03/2015
2	डा०आकाश दीप	मुख्य चिकित्सधिकारी	04/05/2019 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति**निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखंड, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/AMG-I कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांए।

वरिष्ट लेखापरीक्षाअधिकारी/AMG-I